न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2021/50

01. विहान पंवार पुत्र मुल्तानाराम जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष साकिन चक 14 बी.डी.बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

......

प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

....

अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट एवं 151 सीपीसी

निर्णय **दिनांक :—22.05.26**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी का चक 14 बी.डी. बी के मु.नं. 115/57 के कि.नं. 1 ता 25 कुल तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड यानी 6.1960 हैक्टे. सयुंक्त खाता में बतौर विरास्तन दर्ज रिकार्ड है और तब से लेकर आज तक प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं ढाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है। पिता के फौत बाद विरास्तन प्रार्थी का नाम डीगराम पुत्र मुल्तानाराम रिकार्ड में दर्ज हो गया जो प्रार्थी का पुराना नाम था और पुर्व में सभी दस्तावेजों यथा मूलनिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में डीगराम ही दर्ज रहा और उसी अनुरूप रिकार्ड पर दर्ज हुआ। प्रार्थी ने अब विधिवत दिनांक 14.01.2021 को राजस्थान राजपत्र से अपना नाम डीगराम के स्थान पर विहान पंवार परिवर्तन करवाकर उस की पालना में समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मूलनिवास, पेनकार्ड, जन—आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र में अपना नाम विहान पंवार पुत्र मुल्ताना राम करवा लिया है और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है। आधार नम्बर डीगराम व विहान पंवार के 8456 3831 1621 सामान है। सभी दस्तावेज संलग्न पत्रावली है। रिकार्ड में डीगराम होने की वजह से प्रार्थी सरकारी वितिय सहायता और किसान कार्ड नहीं बना पा रहा है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में डीगराम है और अन्य रिकार्ड में नया नाम विहान पंवार है जिसे जरिये रिकार्ड दुरूस्ती रिकार्ड में डीगराम को हटाकर विहान पंवार पुत्र मुल्तानाराम जाति मेघवाल साकिन चक 14 बी.डी. बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकार्ड में प्रार्थी के पुराने नाम डीगराम को हटाकर नया नाम विहान पंवार पुत्र मुल्तानाराम जाति मेघवाल साकिन चक 14 बी.डी. बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन कर प्रार्थी के नाम खातेदार दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करें। अन्या जो भी दादरसी न्यायालय उचित समझे प्रार्थी के पक्ष में तय करें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधार कार्ड, जन—आधार कार्ड, पेनकार्ड, मूल निवास प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र, व पुराने नाम से संबंधित मार्क सीट, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेनकार्ड नाम परिवर्तन हेतु राजस्थान राज—पत्र जनवरी 14, 2021 में प्रकाशित सूचना इत्यादी की प्रति प्रस्तुत किया। सहखातेदार (अर्जुनराम, मघी) शपथपत्र एवं ग्राम पंचायत 14 बी.डी. तस्दीक

प्रस्तुत की। जिसमें लिखा है कि प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो अनाप्ति है एवं प्रार्थी उक्त दुरूस्ती का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गजट की प्रति में भी उक्त दुरूस्ती का अंकन है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 14 बी.डी बी के मु.नं. 115/57 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल 25.00 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 6.1960 हैक्टेयर संयुक्त खाता में प्रार्थी का नाम डींगराम की जगह विहान पंवार संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच में प्रार्थी का नाम डींगराम अंकित के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी का नाम डींगराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम डींगराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 22.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)